15.1.14	कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम) आवेदक उपस्थित। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी Sum 1890 & 3(2) वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में बार-बार Show cause कर न्यायालय समय में न्यायालय समय समाप्ति तक अपनी उपस्थिति नहीं हुए। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अग्रेतर सुनवाई पेटी में खारिज किया जाता है। अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रकरण पुनः दायर करें। सहायक कलेक्टर एवम कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम)	कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Agarwal
Date: 2019.11.22 11:45:19 IST
Reason: SelfAttested